संख्या-59/2022/757/सैंतीस-2-2022/757/2022

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-23 जून, 2022

विषयः- **रिट याचिका संख्या-79/2021 व रिट याचिका संख्या-22734/एम.एस./2017 स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य बनाम श्री प्रेम कुमार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-29.07.2021 के अनुपालन में वादी श्रमिक को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-83/बजट/29(5)/30/13/2022-23, दिनांक-11.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैनिक श्रमिक श्री प्रेम कुमार की बैठकी अवधि के भुगतान के सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-21.09.2016 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-22734 (एम./एस.)/2017 व पुनर्विचार याचिका संख्या-79/2021 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम प्रेम कुमार व अन्य में क्रमशः पारित आदेश दिनांक-07.12.2019 व 29.07.2021 के अनुपालन में याची को रू0-42,334/- का भुगतान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-0.42334 लाख (रूपये बयालिस हजार तीन सौ चौंतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 42,334 (रुपये बयालीस हजार तीन सौ चौंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403000010300 निदेशालय **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-59/2022/757(1)/सैंतीस-2-2022/001-757/2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।